रही हैं। इन कंपनियों की निर्माण सुविधाएं बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, कोयंबटोर, फरीदाबाद, हैदराबाद और साहिबाबाद में स्थित हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान, अनुमान लगाया जाता है कि देश में लगभग 8.2 मेगावाट क्षमता के सौर सैलों का उत्पादन किया गया। अनुमान लगाया जाता है कि कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 19 मेगावाट प्रतिवर्ष है।

(ख) देश में निर्मित किए जा रहे सौर सैलों की वर्तमान अनुमानित लागत 1.35 से 1.50 लाख रु० प्रति कि.वा. के बीच है। सौर प्रकाशवोल्टीय मोडयूलों की औसत लागत लगभग 2.00 लाख रु० प्रति किलोवाट है।

(ग) देश में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली से विद्युत उत्पादन की लागत 12-20 रु० प्रति किलोवाट घंटे के बीच है जो प्रणाली के विन्यास, अवस्थिति, वित्त प्रबंधन आदि पर निर्भर करती है।

(घ) वर्तमान में सौर सैलों के उत्पादन के लिए राजस्थान में उत्पादन की कोई सुविधा नहीं है। तथापि, मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जयपुर सौर प्रकाशवोल्टीय मोडयूलों एवं प्रणालियों के उत्पादन में संलग्न है।

Mini-Hydro Power Plants

2415. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated the concept of Mini-Hydro Power Plants;

(b) whether ample power could be generated by Mini-Hydro Power Plants;

(c) whether any scheme for State Governments to conduct Mini-Hydro Power Plants has been formulated; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINSITER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Yes Sir. Ministry of Non-conventional Energy Sources is promoting development of small/mini hydro power projects. The potential of generation of power from small and mini hydel projects is estimated to be about 10,000 MW in the country.

(c) and (d) Ministry of Non-conventional Energy Sources is implementing various schemes through State Government Departments/Agencies to promote small hydro power development. These include assistance for survey & investigation & detailed project report preparation, financial support for setting up of new projects and renovation & modernisation of old small hydro power plants and special incentives for North-Eastern region. The Ministry is providing capital grant for setting up of micro hydel projects upto 100 KW in hilly and remote regions and for the development and upgradation of water mills.

विद्युत नीति का कार्यान्वयन

2416. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही विद्युत नीति की अब तक कितनी बार समीक्षा की गई है और यह किस हद तक सफल पायी गयी है;

(ख) सरकार ने विद्युत नीति के अनुसार देश की विद्युत की मांग और आपूर्ति के लिए उठाये कदमों को कहां तक सफल पाया है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान विद्युत नीति को संशोधित करके आगामी दशक की स्थिति को ध्यान में रखकर एक नीति बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति का प्रारूप क्या होगा?

विद्युत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) और (ख) बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्युत नीति की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में उठाये गये कदमों से वर्ष 1950 और 1998 के बीच अधिष्ठापित क्षमता साठ गुना से अधिक और वार्षिक विद्युत क्षमता 90 गुना से अधिक बढ़ गई है। पारेषण और वितरण नेटवर्क की क्षमता और आकार भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है। इसके अतिरिक्त सभी शहरी केन्द्रों और देश के कुल गांवों के 85% गांवों से अधिक में बिजली पहुंच गई है। राज्य की सीमाओं के आर पार विद्युत प्रणाली का प्रगामी अन्त: संबंध हुआ है। तथापि देश के विद्युत उद्योग में विविध कमियां जारी हैं जिन्हें दूर किए जाने की

आवश्यकता है जैसे रा॰ वि॰ बोर्डों की वित्तीय अव्यवहार्यता, पारेषण एवं वितरण में अपर्याप्त निवेश, जल विद्युत की गिरती भागेदारी, संयंत्रों का कम क्षमता स्तर और गैर युक्तिसंगत टैरिफ।

(ग) और (घ) सरकार ने पावर विजन इंडिया-2010 नामक एक कार्य योजना तैयार की है इसके मुख्य उद्देश्य निम्न है:—

(i) वर्ष 1998-2008 के दौरान 80000 मे॰ वा॰ उत्पादन क्षमता की वृद्धि।

(ii) जल विद्युत मिश्रण में सुधार लाना।

(iii) राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड बनाना।

(iv) रा॰वि॰ बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना

(v) विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार घटक में सुधार लाना।

(vi) विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागेदारी बढ़ाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहु उद्देश्यीय नीति अपनाई गई है जिसमें तत्काल, मध्यवर्ती तथा दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं। कुल नीतिगत और विधायी पहल पहले ही कर लिये गये हैं इनमें केन्द्रीय और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना एक नई जल विद्युत नीति, मेगा विद्युत परियोजनाओं पर एक आकर्षण नीति, पारेषण को पृथक कार्य बनाने वाला कानून, विद्युत के पारेषण एवं निकासी पर अधिक जोर देना, संशोधित प्रति गारन्टी स्कीम, मानीटरिंग संबंधी तंत्र और विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर

2417. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अभी तक अन्तर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों से विद्युत की कमी की स्थिति में कितना सुधार हुआ है?

विद्युत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम): (क) और (ख) अप्रैल, 1998—फरवरी, 1999 तथा फरवरी, 1999 के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति इंगित करने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) विद्युत की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

- नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के द्वारा विद्यमान विद्युत संयंत्रों में उत्पादन अधिकतम करना।
- पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।
- जल विद्युत, ताप विद्युत, न्यूक्लीय विद्युत तथा गैस टरबाईन विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन।
- अंतर्राज्यीय/अंत: क्षेत्रीय विद्युत अंतरणों को प्रोत्साहन।
- मांग पक्ष प्रबंधन।
- ऊर्जा संरक्षण।
- विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए देश में ऊर्जा की समग्र कमियां नीचे इंगित की गई है:-

वर्ष	ऊर्जा की कमी%
1996-97	11.5%
1997-98	8.1%
1998-99 (फरवरी, 99 तक)	5.6%